# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
## जिला –बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

क्र:: 7103 / 25 / स्था.अवि. / भर्ती / 2021 जगदलपुर, दिनांक 20 / 10 / 2021

## / / तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन / /

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था. अवि. / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनॉक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11 / 06 / 2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ / 10–8 / 2019 / 1 / एक दिनांक 04 सितम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार **जिला संवर्ग** के जिला बस्तर में तृतीय श्रेणी के पद – **फार्मासिस्ट ग्रेड–02, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरूष / महिला) , चतुर्थ श्रेणी– वार्ड आया, वार्ड ब्वाय,** के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला बस्तर के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** बस्तर के वेबसाईट **www.jssbbastar.cgstate.gov.in** पर दिनांक 25.10.2021 से 15.11.2021 रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :–**

| | | |
|---|---|---|
| 01. परीक्षा की तिथि | :– | 19 / 12 / 2021, दिन– रविवार |
| 02. परीक्षा का समय | :– | सुबह 11:45 से 2:00 बजे तक |
| 03. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | :– | 25 / 10 / 2021 |
| 04. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | :– | 15 / 11 / 2021, रात्रि 12:00 बजे तक |

05. **परीक्षा शुल्क :–**

| | |
|---|---|
| 1. सामान्य वर्ग | – 350 /– |
| 2. अन्य पिछड़ा वर्ग | – 250 /– |
| 3. अनु.जाति / अनु.जनजाति दिव्यांगजन | – 200 /– |

06. **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बस्तर** द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार / जिलेवार मेरिट (वरियता) सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

07. परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाईन **विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड** का बेवसाईट www.jssbbastar.cgstate.gov.in में देय होगा।

08. परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित होगा।

09. पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें।

3.रिक्त पदों का वर्गवार विवरण एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :–

**(1)पदनाम– फार्मासिस्ट ग्रेड 02, तृतीय श्रेणी, वेतनमान 25300–80500 लेवल –06**

| अनारक्षित | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ वर्ग | | | | कुल रिक्तियों मे स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (अजजा) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |

शैक्षणिक योग्यता :– (1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधी निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा, तथा
(2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन।

**(2)पदनाम–ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(पु.), तृतीय श्रेणी, वेतनमान 22400–71200 लेवल–05**

| अनारक्षित | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ वर्ग | | | | कुल रिक्तियों मे स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (अजजा) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |

शैक्षणिक योग्यता :– (1) जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुददेशीय कार्यकर्ता का प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं
(3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिए।

**(3)पदनाम–ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(म.), तृतीय श्रेणी, वेतनमान 22400–71200 लेवल–05**

| अनारक्षित | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ वर्ग | | | | कुल रिक्तियों मे स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (अजजा) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू.पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

शैक्षणिक योग्यता :– (1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।
( 3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

**टीप :– जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक–महिला हेतु मितानिन संवर्ग का पद रिक्त नहीं है।**

### (4) पदनाम– वार्ड ब्वाय, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल–01

| अनारक्षित | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ वर्ग | | | | कुल रिक्तियों मे स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (अजजा) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

शैक्षणिक योग्यता :– (1) कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

### (5) पदनाम– वार्ड आया, चतुर्थ श्रेणी, वेतनमान 15600–49400, लेवल–01

| अनारक्षित | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ वर्ग | | | | कुल रिक्तियों मे स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित (अजजा) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | मु. | म. | भू. पू. सै. | योग | | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |

शैक्षणिक योग्यता :– (1) कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

## नियम एवं शर्ते :–

1. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।
2. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
3. बस्तर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची एवं डिप्लोमा/डिग्री के साथ, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आदि की मूलप्रतियां एवं स्व–प्रमाणित् छायाप्रति तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पांचवीं की अंकसूची के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आदि की मूलप्रतियां एवं स्व–प्रमाणित् छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत् को अनुभव का अंक दी जावेगी बशर्ते आवेदक जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 02 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि पर 01 अंक दिये जायेंगे। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगें। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
7. फार्मासिस्ट ग्रेड–2 ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष पदों के लिए लिखित परीक्षा लिया जावेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता व्यय नहीं दिया जावेगा।
8. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20–4/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं पदों पर आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों, फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के लिए **OL** (एक पैर) एवं **BL** (दोनौ पैर), तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला/पुरूष) के लिए **OL** (एक पैर) एवं **OA** (एक हाथ) एवं वार्ड आया एवं वार्ड ब्वाय के लिए **OA** (एक हाथ), **OL** (एक पैर) **LV** (कमजोर दृष्ट) दिव्यांग ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
10. ऑनलाईन दर्ज की गई विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. **फार्मासिस्ट ग्रेड–2 ,ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष,** पदों हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारीत पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक का बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे तथा अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक होगा। लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा।
12. चतुर्थ श्रेणी **वार्ड आया, वार्ड ब्वाय** के रिक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को 90 प्रतिशत् अंक भार दिया जावेगा। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के लिए निर्धारित अंक को जोड़ कर वरीयता सूची तैयार किया जावेगा।
13. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर/जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र बस्तर/समस्त जनपद पंचायत/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं विशेष **कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाईट** पर भी देखा जा सकता है।
14. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दी गई निर्देशों/नियम शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित् करेगें। आवेदक के द्वारा सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेगें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें। इसके लिए बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।
15. प्रवेश पत्र **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** के वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। जिसे डाऊनलोड कर प्रिन्ट आऊट आवेदक को ही करना होगा।
16. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत्

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत्

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर नियमित किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतन में नियत किया जायेगा।

17. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
18. यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
19. प्रतीक्षा सूची **"विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड"** द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।
20. चयन उपरान्त् यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
21. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
**जिला–बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)**

पृ0क्र:: 7104-12/25/स्था.अवि./भर्ती/2021 जगदलपुर, दिनांक 20/10/2021

**प्रतिलिपिः–**

01. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
03. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
07. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
08. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन जिला बस्तर को उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
10. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पी.जी. कालेज के सामने, धरमपुरा,3 जगदलपुर को सूचनार्थ।
11. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र बस्तर, जगदलपुर को विज्ञापन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
**जिला–बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)**